12/03/25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उक्त प्रकरण बाद वाद-विवाद निर्णय किया जाता है। पृथक से निर्णय लिखाकर जारी डिक्री फर्द-हो। रिकॉर्ड अमल हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2024/512

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.18 16:03:23 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

रामेश्वरलाल बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमाः– 88,207,209 आर0टी0ए0 प्रकरण संख्याः–250 / 2024 (GCMS No. 2024/512)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.03.25	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील वादी ने वाद पत्र को दोहराते हुए बताया कि वादी के नाम से वाके चक 1 के0एस0एम0 की जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता संख्या 77 / 66 के पत्थर नं. 12 / 4 (82) के किला नं. 1 ता 25 हैक्टर अ0क0 / कमाण्ड व पत्थर नं. 232 / 29 (102) के किला नं. 1 ता 25 की 6.325 हैक्टर अ0क0 इस प्रकार कुल 12.650 हैक्टर कमाण्ड / अ0क0 भूमि खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। वादी का नाम जैरवाद भूमि की जमाबंदी में रामेश्वर व निवास स्थान बड़ी दर्ज है। जबकि अन्य दस्तावेजात आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पास बुक, जन आधर कार्ड आदि में रामेश्वरलाल व निवास स्थान छानी बड़ी दर्ज है। वादी को इन दोनों नामों से पुकारा जाता है। दस्तावेजों व जमाबंदी में अलग–अलग नाम होने से कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बैंक ऋण आदि में परेशानी का सामना करना पड़ता है। वादी का पेशा काश्तकारी है। काश्तकारी संबंधी सरकार की ओर से चल रही सहायता नही मिल पाती है। क्योंकि वाद का जमाबंदी व अन्य दस्तावेज में नाम भिन्न–2 है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जावे। प्रतिवादी ने जवाब स्टैट को दोहराते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए निर्णित करने का निवेदन किया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया गया। तहसील सूरतगढ़ के चक 1 के0एस0एम0 की जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता संख्या 77 / 66 की 12.650 हेक्टर अ0क0 / कमाण्ड भूमि रामेश्वर पुत्र शिशपाल जाति जाट साकिन बड़ी खातेदार अंकित है। वादी के अन्य दस्तावेज आधार कार्ड नं. 320566745829, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र संख्या आरजे / 01 / 001 / 534035, आयकर विभाग जारी कार्ड नं. DZUPR5798Q, बैंक पास बुक नं. 38557002286, जन आधार कार्ड नं. 4788876027 एवं सरपंच ग्राम पंचायत छानीबड़ी द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 27.06.2024 की छायाप्रति में रामेश्वरलाल पुत्र शिशपाल जाति जाट साकिन छानी बड़ी अंकित है। वादी ने बयान प्रस्तुत किये है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है। अतः उपर्युक्त विवेचन अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाकर चक 1 के0एस0एम0 की जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता संख्या 77 / 66 की 12.650 हेक्टर अ0क0 / कमाण्ड भूमि में ''रामेश्वर पुत्र शिशपाल जाति जाट साकिन बड़ी'' के स्थान पर ''रामेश्वरलाल पुत्र शिशपाल जाति जाट साकिन छानी बड़ी'' अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है। शेष अंकन यथावत् रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। डिक्री जारी हो। पत्रावली नंबर क्रम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Sandeep Kumar Date: 2025.03.18 16:03:23 IST Reason: SelfAttested (सन्दीप कुमार) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(पीठासीन अधिकारीः– सन्दीप कुमार, आर.ए.एस)

1. रामेश्वरलाल पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी छानी बड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज0)

– वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भू–प्रतिनिधि तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

– प्रतिवादी

वाद पत्र धारा– 88,207,209 आर.टी.एक्ट मुकदमा नं. 250 वर्ष 2024 (GCMS No. 2024/512) में प्रस्तुत यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री बलदेव बिश्नोई तथा पैरोकार राज के हाजिर हाने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

वाद वादी स्वीकार किया जाकर चक 1 के0एस0एम0 की जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता संख्या 77/66 की 12.650 हेक्टर अ0क0/ कमाण्ड भूमि में ''रामेश्वर पुत्र शिशपाल जाति जाट साकिन बड़ी'' के स्थान पर ''रामेश्वरलाल पुत्र शिशपाल जाति जाट साकिन छानी बड़ी'' अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है। शेष अंकन यथावत् रहेगें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

नोज........x..........मुबलिग....... x.......बाबत..... x ....खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह..... x.... फस्दों की पालना....... x..........आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 12.03.2025 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.18 16:03:23 IST
Reason: SelfAttested

(सन्दीप कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)